


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज डॉ. चन्द्र भानु राजपुरोहित 417-बी, बापू नगर (विस्तार) आई.जी. पब्लिक स्कूल के पीछे, पाली (राज.) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 08/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/57 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>25.02.2022</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 31.12.2020 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी ने जरिये पत्रांक/आर.टी.आई./2021/1930 दिनांक 08.06.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा जरिये पत्रांक/आर.टी.आई./2021/1584 दिनांक 12.05.2021 के उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/ जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 25.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलार्थी अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	